न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष – आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1586–तीन/04 विरूद्ध आदेश दिनांक 9.11.04 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 99/अ–(बी–3)/04–05.

—

1– अब्दुल हवीव पुत्र स्व0 अब्दुल रहमान

2– अब्दुल सफीक पुत्र स्व0 अब्दुल रहमान

3– जाविद पुत्र स्व0 अब्दुल रहमान

4– सिकन्दर पुत्र स्व0 अब्दुल रहमान फौत

वारिसान :–

अ– नफीसा बेवा सिकन्दर

ब– अफसर हुसैन पुत्र सिकन्दर

स– रजिमा पुत्री सिकन्दर

द– आयशा पुत्री सिकन्दर

निवासी टीकमगढ म0प्र0

5– जाहिदा बेगम पत्नि स्व0 अब्दुल रफीक

6– अब्दुल अतीक पुत्र स्व0 अब्दुल रफीक

7– अब्दुल सईद पुत्र स्व0 अब्दुल रफीक

8– अब्दुल सकील पुत्र स्व0 अब्दुल रफीक

निवासी टीकमगढ म0प्र0 —— आवेदकगण

विरूद्ध

1– मधुकर शाह बल्द स्व0 देवेन्द्र सिंह देव

2– म0प्र0 शासन —— अनावेदकगण

आवेदकगण के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव

आनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5–11– 2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क0 99/अ–90(बी–3)/04–05 पारित आदेश दिनांक 9.11.04 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर हुई है। अपर आयुक्त के समक्ष अपील कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण कमांक 1 अ/90–बी 3 /82–83 में पारित आदेश दिनांक 23.9.85 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई थी। प्रकरण का संबंध म0प्र0 कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के अधीन कलेक्टर द्वारा की कार्यवाही से है, जिसमें कलेक्टर द्वारा तहसील टीकमगढ के अन्तर्गत ग्राम मधुवन व तहसील निवाडी के अन्तर्गत ग्राम ओरछा में स्थित अनावेदक कमांक –1 मधुकर शाह तनय स्व0 देवेन्द्रसिंह द्वारा धारित भूमियों को अतिशेष घोषित किया गया था। प्रकरण 2 अलग अलग तहसीलों से संबंधित होने के कारण, कलेक्टर द्वारा मूल आदेश पारित किया गया है ।

2– राजस्व मण्डल के प्रकरण में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर तथा कलेक्टर सागर के प्रकरणों की नस्तियां विद्यमान हैं जिनका परिशीलन मेरे द्वारा किया गया है। राजस्व मण्डल के समक्ष आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किये हैं। अनावेदकगण की ओर से तर्क के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ। मेरे द्वारा इन सभी को विचार में लेते हुये यह आदेश पारित किया जा रहा है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में कहा गया कि उनके पक्ष के पास विषयांकित भूमि के संबंध में अनावेदक कमांक–1 के पिता देवेन्द्र सिंह की ओर से वर्ष 1956 में दी

गई सनद है, जिसके प्रकाश में उनके अनुसार उन्हें विषयांकित भूमि पर स्वत्व एवं अधिपत्य के अधिकार हैं जो उन्हें मिलने चाहिये। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पक्ष समर्थन का अवसर भी अधीनस्थ न्यायालय में नहीं मिला, तथा यह भी कहा कि या तो उनसे संबंधित भूमि को सीलिंग से मुक्त किया जाय या उन्हें सुनवाई का अवसर देने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाय।

4– इन तर्कों के प्रकाश में अभिलेखों के अवलोकन से निम्न विवेचना के बिन्दु मेरे समक्ष आये हैं:–

(1) कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण में आवेदकगण पक्षकार नहीं थे। किन्तु कलेक्टर के प्रकरण की आदेश–अनुवृत्ति–पत्रिका दिनांक 15.3.1983 पर लिखे अनुसार उनके (कलेक्टर के) द्वारा प्रकरण में अधीक्षक भू अभिलेख से प्रारूप फार्म घ में ड्राफ्ट स्टेटमेंट तैयार कराकर तहसील निवाड़ी तथा तहसील टीकमगढ के समीप दो–दो प्रतियां एवं न्यायालय कलेक्टर के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति चस्पा कराकर प्रकाशित की गई थी, जिसके बावजूद आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष किसी भी स्टेज पर कोई आवेदन, आपत्ति आदि प्रस्तुत नहीं किये गये।

इसके अतिरिक्त, अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील आवेदकगण द्वारा ही प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उनके अधिवक्ता द्वारा तर्क किये जाने के उपरांत ही अपर आयुक्त द्वारा उनका आदेश पारित किया गया ।

हालांकि, यह बात टीप किये जाने योग्य है कि अपर आयुक्त न्यायालय के प्रकरण में प्रकरण का निपटारा ग्राह्यता के पूर्व ही कर दिया गया था, तथा कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण में प्रारूप फार्म घ की ड्राफ्ट स्टेटमेंट का प्रकाशन तहसील एवं कलेक्टर कार्यालयों/न्यायालयों पर अथवा उनके निकट किया गया था, यह प्रकाशन समाचार पत्र, डोंडी इत्यादि के माध्यम से इस प्रकार नहीं किया गया कि क्षेत्र के जनसामान्य को, यदि वे तहसील एवं कलेक्ट्रेट में नहीं आते हों तो भी, सीलिंग संबंधी प्रचलित कार्यवाही की सूचना मिल जाय ।

(2) अपर आयुक्त न्यायालय में आवेदकगण द्वारा उनके द्वारा बताई जा रही सनद की अप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की गई है, एवं खसरा पांचसाला के अभिलेख की प्रति भी प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर उन्होंने उनके स्वत्व संबंधी बताये जा रहे अधिकार का होना प्रथमदृष्ट्या माना जाने का अनुरोध अपर आयुक्त के समक्ष अपील मेमों में किया है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदकगण कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष समर्थन समुचित रूप से नहीं कर पाये। साथ ही, उपरोक्त पैरा चार के बिन्दु कमांक (2) की विषयवस्तु पर अपर आयुक्त के आदेश में मैं किसी भी प्रकार की विवेचना अथवा विधि को आधर लेते हुए बोलते हुए निर्णय का अभाव पाता हूँ । अतः, मैं यह प्रकरण अपर आयुक्त सागर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ। कि वे अपने अपील प्रकरण कमांक 99/अ–90बी–3/04–05 को पुनः खोलें, तथा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये तथा यदि उनके द्वारा कोई अभिलेख अथवा साक्ष्य उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो उनको प्रस्तुत करने, उनका कूट परीक्षण करने आदि का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण का गुणदोष के आधार पर, इन बिन्दुओं को सम्मिलित कर सुसंगत विधिक प्रावधानों,न्याय दृष्टांतों आदि का संदर्भ लेकन विवेचना करते हुए, बोलते हुये आदेश के माध्यम से नये सिरे से आदेश पारित कर निराकरण करें ।

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर